तारीख हुक्म	न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम–10, जयपुर महानगर प्रथम, मुख्यालय सांगानेर	नम्बर व तारीख अहकाम या इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सुरेश गुप्ता बनाम गौरीलाल, मु.नं. 123/2013	
...5.2025	वकुलाय पक्षकारान् उपस्थित। गत पेशी पर बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 10 सपठित धारा 151 सि.प्र.सं. सुनी गई थी। उभय पक्षकारान् के तर्कों पर मनन किया गया। इस संबंध में उभय पक्षकारान् के तर्कों पर मनन किया गया। हस्तगत वाद सुरेश गुप्ता की ओर से आम मुख्यार मनीष कुमार अग्रवाल द्वारा वादग्रस्त भूमि स्वयं की क्रयशुदा होने से हस्तगत वाद पेश किया है तथा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 10 सि.प्र.सं. में प्रार्थी ने वादग्रस्त संपत्ति वादी सुरेश गुप्ता से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर लिया जाना बताया है तथा कथन किया है कि वादग्रस्त संपत्ति में अब समस्त हित प्रार्थी अनूप अग्रवाल में निहित है। अतः उसे वादी के रूप में प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी की ओर से ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया कि उक्त संपत्ति का विक्रय वादी द्वारा प्रार्थी अनूप अग्रवाल को नहीं किया गया हो। चूंकि उक्त संपत्ति प्रार्थी अनूप अग्रवाल द्वारा क्रय किये जाने से अब वादग्रस्त संपत्ति पर समस्त हित प्रार्थी में निहित हो गये हैं। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 10 सपठित धारा 151 सि.प्र.सं. स्वीकार किया जाकर प्रार्थी अनूप अग्रवाल को वादी सुरेश गुप्ता के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थी/वादी अनूप अग्रवाल संशोधित उनवान में पूर्व वादी का नाम अंकित करते हुए संशोधित उनवान पेश करें। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही/देखने पालना दिनांक 08/7/25 को पेश हो। अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 10, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर 8/7/25 P.O. महोदय चाकसू कैंप कोर्ट में पधारे हैं। वकुलाय पक्षकारान उप.। पत्रावली स्थगित दिनांक 01/08/25 को पेश हो। अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 10, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर	

अपर जिला न्यायाधीश, 10, जयपुर महानगर, मुख्यालय सांगानेर

1/7/25

वकलान पक्षकारान उप.। P.O. लंच मध्यान्ह पश्चात अवकाश पर पधारे होने वादी की ओर से संशोधित आवेदन पेश किया। नकल दिलाई जावे। शामिल रहे। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 8/8/25 को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश,
संख्या 10, जयपुर महानगर प्रथम
मुख्यालय सांगानेर

कनिष्ठ सहा. प्रतिवादी/अभि.

08/08/25

वकलान पक्षकारान उप.। अधि. वादी ने गवाह अनूप का शपथपत्र पेश किया। अधि. प्रति. ने जिरह का अवसर चाहा। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 18/09/25 को पेश हो।

(राजपाल सिंह)
अपर जिला न्यायाधीश
संख्या- 10, जयपुर महानगर प्रथम
मुख्यालय, सांगानेर

18/09/25

वकलान उप.। अधि. वादी ने प्रा. पत्र U/O 7 R 14(3) CPC सपठित धारा 151 CPC पेश किया। नकल दिलाई। प्रतिवादी अधि. ने जवाब को समय चाहा। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा. पत्र दिनांक 24/10/25 को पेश हो।

(राजपाल सिंह)
अपर जिला न्यायाधीश
संख्या-10, जयपुर महानगर प्रथम
मुख्यालय, सांगानेर